दिनांक 21.04.2018 को इं0 एच0के0उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति इस पत्र के साथ संलग्न है।

1– समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि भविष्य में वेतन एवं वेतन से सम्बन्धित मदों को छोड़कर अन्य मदों में आवंटित धनराशि को दिये गये त्रैमास में ही व्यय करना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात आगामी त्रैमास की मांग करना सुनिश्चित किया जाय।

2– लोक निर्माण विभाग के सभी वृत्तों को ज्यादातर धनराशि माह 11/2017 से माह 1/2018 को आवंटित की गयी। जनपद पौड़ी के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन द्वारा पूरी की पूरी धनराशि समर्पण की गयी, जो कि अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

3– 12 वॉ वृत्त, पौड़ी को पी0ओ0एल0 में जो धनराशि आवंटित की गयी थी, वह धनराशि उनके द्वारा व्यय नहीं की गयी। इसी प्रकार अधिष्ठान के मदों में जो धनराशि आवंटित की जाती है, वह धनराशि खण्डों द्वारा व्यय नहीं की जा रही है। जिन–जिन खण्डों द्वारा धनराशि समर्पित की गयी है, उनके स्पष्टीकरण सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता प्राप्त कर संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।

4– वर्ष 2017–18 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा–

एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम चर्चा अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, टिहरी से प्रारम्भ की गयी परन्तु श्री एन0पी0सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पूर्वान्ह 11.15 बजे तक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। विगत बैठक में भी श्री सिंह, अधीक्षण अभियन्ता विलम्ब से उपस्थित हुए। उनके द्वारा स्वीकृत लागत रू0 453.81 लाख के सापेक्ष 337.20 लाख का व्यय किया गया। यह व्यय संतोषजनक नहीं है। जनपद उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, उधमसिंह नगर की प्रगति लगभग संतोषजनक है परन्तु जनपद पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल के कार्यो की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी।

5– वर्ष 2017–18 में राज्य योजना सामान्य के लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा हुई, जिसमें टिहरी क्षेत्र के कार्यो की पहाड़ कटान की प्रगति 150 कि0मी0 के विरूद्ध 111.00 कि0मी0, हल्द्वानी क्षेत्र की 16.00 कि0मी0 के विरूद्ध 8.00 कि0मी0 प्राप्त की गयी। यह प्रगति लक्ष्यों से बहुत कम है।

6– नाबार्ड में यातायात योग्य के कार्य की टिहरी क्षेत्र के अन्तर्गत 36.00 कि0मी0 के विरूद्ध 39.00 कि0मी0, देहरादून क्षेत्र की 10.00 कि0मी0 के विरूद्ध 9.00 कि0मी0, पौड़ी क्षेत्र की 40.00 कि0मी0 के विरूद्ध 48.00 कि0मी0, पिथौरागढ़ क्षेत्र की 25.00 कि0मी0 के विरूद्ध 32.00 कि0मी0, अल्मोड़ा क्षेत्र की 50.00 कि0मी0 के विरूद्ध 48.00 कि0मी0, हल्द्वानी क्षेत्र की 7.00 कि0मी0 के विरूद्ध 11.00 कि0मी0 प्राप्त की गयी।

7– एस0सी0एस0पी0 में यातायात योग्य कार्य के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी की 10.00 कि0मी0 के विरूद्ध 5.00 कि0मी0, जनपद चमोली की 5.00 कि0मी0 के विरूद्ध 3.00 कि0मी0, जनपद रूद्रप्रयाग की 5.00 कि0मी0 के विरूद्ध 2.00 कि0मी0, जनपद पौड़ी की 4.00 कि0मी0 के विरूद्ध 3.00 कि0मी0, जनपद पिथौरागढ़ की 10.00 कि0मी0 के विरूद्ध 4.00 कि0मी0, जनपद नैनीताल की 5.00 कि0मी0 एवं जनपद हल्द्वानी की 5.00 कि0मी0 के विरूद्ध शून्य प्रगति रही। इस प्रकार लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति कम प्राप्त की गयी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

8– टी0एस0पी0 में यातायात योग्य कार्य के अन्तर्गत 23.00 कि0मी0 के विरूद्ध 12.00 कि0मी0, जनपद पिथौरागढ़ की 5.00 कि0मी0 के विरूद्ध 3.00 कि0मी0 प्राप्त की गयी, जो संतोषजनक नहीं है।

क्रमशः––2––

9– जिला सैक्टर में यातायात योग्य कार्य के अन्तर्गत टिहरी क्षेत्र की 4.00 कि0मी0 के विरूद्ध 2.00 कि0मी0, देहरादून क्षेत्र की 11.00 कि0मी0 के विरूद्ध 5.00 कि0मी0, पौड़ी क्षेत्र की 38.00 कि0मी0 के विरूद्ध 34.00 कि0मी0, हल्द्वानी क्षेत्र की 26.00 कि0मी0 के विरूद्ध 14.00 कि0मी0 प्राप्त की गयी, जो लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

10– केक सीलिंग के कार्य के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 51.00 कि0मी0 के विरूद्ध 37.00 कि0मी0, जनपद रूद्रप्रयाग में 5.00 कि0मी0 के विरूद्ध शून्य, जनपद पिथौरागढ़ की 11.00 कि0मी0 के विरूद्ध 6.00 कि0मी0 प्राप्त की गयी, जो लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

11– एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत पिथौरागढ क्षेत्र द्वारा 04 के विरूद्ध 03 गॉव ही जोड़े गये। अन्य क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक पायी गयी।

12– इनोवेटिव मैटीरियल के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में प्रान्तीय खण्ड, देहरादून द्वारा सहसपुर–शंकरपुर–रमसावाला–भाउवाला–सुद्धोवाला मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 में 0.60 कि0मी0 में प्लास्टिक वेस्ट मैटीरियल एवं निर्माण खण्ड, देहरादून द्वारा देहरादून–मसूरी मार्ग के कि0मी0 1, 2 में 4.00 कि0मी0 Recycling Cold Milling का कार्य कराया गया। वर्ष 2018–19 में देहरादून क्षेत्र का 12.00 कि0मी0 Recycling Cold Milling एवं प्लास्टिक मैटीरियल का 2.00 कि0मी0, जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार में 2.00 कि0मी0, हल्द्वानी में 2.00 कि0मी0, हरिद्वार में 2.00 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर में इनोवेटिव मैटीरियल के अन्तर्गत अन्य सामग्री प्रयोग करने हेतु 2.00–2.00 कि0मी0 एवं जनपद पिथौरागढ़ का लक्ष्य रखा गया है। जनपद पिथौरागढ़ में इनोवेटिव मैटीरियल द्वारा 1.00–1.00 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता निर्धारित करेंगे।

13– वर्ष 2018–19 हेतु वित्तीय/भौतिक लक्ष्य विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तदोपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उस पर कार्यवाही करेंगे। उस लक्ष्य को कम या ज्यादा होने का पूर्ण औचित्य देंगे।

14– अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु 10–10 एच्छिक स्थान, दुर्गम से सुगम, सुगम से दुर्गम एवं अनुरोध के आधार पर पदवार अलग–अलग 30 अप्रैल, 2018 तक निश्चित रूप से भेजे जॉय।

15– 15 वें वित्त आयोग एवं नाबार्ड के प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जॉय।

16– <u>क्वालिटी कन्ट्रोल</u>–

क्वालिटी कन्ट्रोल के अन्तर्गत मुख्यतः मुख्य अभियन्ता, टिहरी से 27, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून से 20, मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, देहरादून से 16, मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, देहरादून से 25, अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून से 10, अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार से 12, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरकाशी से 14, अधीक्षण अभियन्ता, टिहरी से 17, अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त टिहरी से 26, अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, देहरादून से 19, अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा से 35, अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ़ से 33, अधीक्षण अभियन्ता, बागेश्वर से 19, अधीक्षण अभियन्ता, चम्पावत से 19, अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, हल्द्वानी से 22 एवं अधीक्षण अभियन्ता, आपदा वृत्त, अल्मोड़ा से 34 जॉच आख्याऐं लम्बित हैं, जिन्हें शीघ्र प्रेषित किया जाये।

क्वालिटी कन्ट्रोल के अन्तर्गत थिकनेस एवं पत्थर के साइज का विशेष ध्यान रखा जाये।

17– मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र द्वारा बताया गया कि जिन–जिन खण्डों/वृत्तों में कार्मिकों का सम्बद्धीकरण किया गया है, उनको निरस्त किया जाना चाहिए। इस विषय में जहॉ–जहॉ स्टाफ सम्बद्धीकरण किया गया है, उन खण्डों/वृत्तों के अधिकारी मुख्य अभियन्ता के माध्यम से आख्या प्रेषित करें ताकि सम्बद्धीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सके।

क्रमशः--3--

विशेष–

समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि विभागीय हॉट मिक्स प्लान्ट का प्रयोग शत प्रतिशत किया जाय। इसी प्रकार अन्य मशीनें जो क्रय की गयी हैं, उनका भी शत प्रतिशत उपयोग किया जाय। हॉट मिक्स प्लान्ट जो डीडीहाट में वर्ततान में स्थापित है, यदि उसका प्रयोग डीडीहाट में नहीं हो रहा है तो उसे अन्य स्थान जहॉ हॉट मिक्स का कार्य कराया जाना है, वहॉ स्थापित कराने हेतु कार्यवाही की जाय। अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0, देहरादून/हल्द्वानी से अपेक्षा की गयी कि वे यह देख लें कि पुरानी मशीनें चालू हालत में हैं अथवा नहीं। उनकी पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाय।

ह0/-
(आर0सी0पुरोहित),
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग।

पत्र संख्या 343 /64 ई0प्र0 /2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, ...
2– मुख्य अभियन्ता स्तर–1(मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, ...
4– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. I.T head को upload हेतु

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग।